13.6.22 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे वकील विपक्षी स.1व2को न्यायालय से अवाजें दिलाने पर भी वे हाजिर नहीं आये प्रा-पत्र अ धा. 212 RTA की पत्रावली पर वकील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे निवेदन प्रा: पत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय मे वाद अ धा. 88-53188 RTA का प्रस्तुत किया है। प्रा. पत्र वर्णित आराजीयात मौजा निमोदा प.ह.का टून्द्रा की कृषि आराजी खाता स.44 मे अंकित आ.स.181 रकबा 0.03 है. एंव खाता स.65 मे अंकित आ.स.187 रकबा 0.4800 है. तथा खाता स.145.मे अंकित आ.स.176. रकबा0.50 है. आ.स.200 रकबा 0.280 है. एंव खाता सं.43 मे अंकित आराजी स.253/12 रकबा 3.5600 है.भूमि एंव खाता स.9 मे अंकित आ.स.177,178,180,182, 183,189,190,198 किता-8 कुल रकबा 2.8400 है. भूमि प्रार्थीगण की पैत्रिक कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि अविभाजित कृषि भूमि होकर प्रार्थीगण का भूमि पर जन्म से हक निहित है। वर्णित कृषि आराजियात को प्रा.पत्र मे अंकित सजरे अनुसार विपक्षी स.1 मांगीलाल द्वारा विपक्षी स.2 के पक्ष मे एक दान पत्र निष्पादित करवा लिये जिससे विपक्षी स.2 के नाम नामान्तरण भी की गई है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की पैत्रिक कृषि आराजीयात को जबरन छीनना चाहते है। जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है।

विपक्षी गण प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। तथा आराजी उनके खाते मे होने से अन्य को हस्तान्तरित किये जाने की धमकियां भी दे रहे हैं। विपक्षीगण द्वारा हम प्रार्थीगण को हमारी पैत्रिक आराजी से बेदखल कर दिया जाता है। तो हमें अपूर्णनीय क्षति होगी अत: विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। कि वे वर्णित कृषि आराजी मे प्रार्थीगण को जरिये काश्त के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार दखलन्दाजी न करे व करावें।

वकील विपक्षी गण न्यायालय मे उपस्थित नहीं आए किन्तु प्रकरण मे उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जिसमे विपक्षी गण ने अंकित किया है। कि प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र गलत तथ्यो पर प्रस्तुत किया है। जो अस्वीकार है। विपक्षी स-2 वर्णित कृषि आराजीयात का खातेदार काश्तकार होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्य अंकित प्रस्तुत किया है। जो खारिज होने योग्य है। विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब के विशेष कथन मे अंकित किया है। कि वर्णित कृषि आराजियात मे विपक्षी स. 2 का नाम जरिये रजिस्टर्ड विलेख से राजस्व रिकार्ड मे अंकित हुआ है। जिसे सिविल न्यायालय मे निरस्त कराये बिना प्रा. पत्र न्यायालय मे चलने योग्य नहीं है।

अत: न्यायालय श्री मान से निवेदन है कि विपक्षी स. 1 व 2 का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने आदेश फरमावे। विपक्षी गण की ओर से प्रस्तुत जवाब की ताईद मे कोई दस्तावेज पत्रावली मे प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

हमारे द्वारा प्रकरण मे एक तरफा बहस सुने जाने के पश्चात पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज नकल

नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

जमाबन्दी का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थना मत्र वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थीगण की पैत्रिक कृषि आराजी बताये सजरे अनुसार प्रतीत होती है। प्रार्थीगण द्वारा पैत्रिक आराजियात मे अपना अंकन कराने हेतु इस न्यायालय मे घोषणा एंव विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी प्रस्तुत किया हुआ है। इस प्रकार दस्तावेजी सबूत से मामला प्रार्थीगण के पक्ष प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है। यदि विपक्षीगण के द्वारा प्रार्थीगण को उनके निहित हक हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल कर दिया जाता है। तो प्रार्थीगण का न्यायालय मे दावा प्रस्तुत करना व्यर्थ हो जायेगा। ~~उनके खाते~~ इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध है। साथ ही विपक्षीगण द्वारा उनके खाते मे आई पैत्रिक कृषि आराजियात को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दी जाती है, तो भी प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। हमारी विनम्र राय से मूल दावे के अंतिम निस्तारण तक विपक्षीगण को किसी प्रकार की हानि होने की संभावना प्रतित नहीं होती है।

अतः प्रार्थना आ.धा. 212 R.T.A का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण स. 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि वे मौजा निम्बोदा प.ह. काटून्द्रा की कृषि आराजी खाता स. 44 मे अंकित आ.स. 181 रकबा 0.03 है० एंव खाता स. 65 मे अंकित आ.स. 187 रकबा 0.4800 है० तथा खाता स. 145 मे अंकित आ.स. 176 रकबा 0.50 है० आ.स. 200 रकबा 0.280 है० एंव खाता स. 43 मे अंकित आ.स. 253/12 रकबा 3.5600 है० भूमि एंव खाता स. 9 मे अंकित आराजी स. 177, 178, 180, 182, 183, 189, 190, 198 किता-8 कुल रकबा 2.8400 है० भूमि की मूल दावे के अन्तिम निस्तारण तक यथास्थिति कायम रखे प्रार्थीगण के हक हिस्से की आराजियात मे दखल-दाजी करने का प्रयास न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)